

प्रेषक

को०के० सिंहा

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त  
उत्तर प्रदेश शासन।

संवाद में

जिलाधिकारी,  
बाराबकी।

राजस्व अनुभाग-१०

लखनऊ : दिनांक : ११ अप्रैल, २०११

विषय : वर्ष २०१० में बाढ़ से प्रभावित पशुओं को बीमारियों से बचाव हेतु  
टीकाकरण एवं वेक्सीनेशन कार्य हेतु व्यय धनराशि का वित्तीय वर्ष  
२०११-१२ में समायोजन हेतु आपदा राहत निधि से धनावंटन।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र के सदर्म में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्तीय वर्ष २०१०-११ में आई बाढ़ से प्रभावित पशुओं को सकामक एवं जलजनित बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण एवं वेक्सीनेशन कार्य में हुये व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिवर्त्ती के अधीन कुल धनराशि रु० ९.९७.८७०/- (रुपये नौ लाख सत्तानबे हजार आठ सौ सत्तर मात्र) निम्न विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहबं स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क० सं०	जनपद का नाम	मद	धनराशि (रु० में)	जिलाधिकारी का संदर्भ/पत्र
१	बाराबकी	पशुओं का टीकाकरण एवं वेक्सीनेशन	९.९७.८७०/-	अ०शा०प०स०-२४२५ / आ० लि० दिनांक ०१ अप्रैल, २०११

२. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१०-११ के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-५१ के अन्तर्गत लेखाशीषक “२२४५-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-०५-आपदा राहत निधि-८००-अन्य व्यय-०३-आपदा राहत निधि से व्यय-४२-अन्य व्यय” के नामे डाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि की उक्त धनराशि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन विभाग की गाइड लाइन संख्या 32-34 / 2007-एन0डी0एम0-1 दिनांक 27 जून, 2007 में दिये गये मानकों के अनुसार वितरित किया जाएगा। यदि एक व्यक्ति को कई मदों में राहत अनुमत्य है, तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाय।
4. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल इस वित्तीय वर्ष 2011-12 में वर्ष 2010 में आई बाढ़ से प्रभावित पशुओं को संकामक एवं जलजनित बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण एवं वेक्सीनेशन कार्य में हुये व्यय के निमित्त व्यय की जाएगी। इससे पूर्व वर्षों के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायगा।
5. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है, यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अत आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदृपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अत आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का ग्रेटर स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।
6. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693 / 1-11-2005-रा०-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही दैनिक रिपोर्ट भी राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचत संभावित हों तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2011 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।
7. उक्त धनराशि का उपभोग ग्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

८. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्ताकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय<sup>1</sup>  
~~कोको सिन्हा~~  
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या- ११३ (१) / १-१०-२०११-१४(६३) / २०१, तददिनोंका

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आयश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

१- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।

२- मण्डलायुक्त फैजाबाद।

३- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।

✓ वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

५- वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

६- मुख्य काषाधिकारी बाराबकी।

७- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-५

८- राजस्व अनुभाग-१०/राजस्व अनुभाग-६/११।

९- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द प्रकाश उपाध्याय)  
संयुक्त सचिव, राजस्व